प्रकरण संख्या 28/15 2015/00061 रजु दिनांक 21.09.2015

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

उनवान

आम जनता दरगवां तहसील मण्डरायल जिला करौली जरिये

1. महेश जाटव पुत्र फौंदी उम्र 22 साल जाति जाटव हाल सरपंच ग्राम पंचायत दरगवां तहसील मण्डरायल जिला करौली
2. टुण्डा मीना पुत्र बीरबल उम्र 60 साल जाति मीना
3. मुन्ना भोई पुत्र भागीरथ भोई उम्र 55 साल जाति भोई
4. बनवारी गौड पुत्र चिरंजी लाल उम्र 65 साल जाति गौड़
5. प्रहलाद जाटव पुत्र गुटई जाटव उम्र 50 साल जाति जाटव
6. किशोरी पुत्र गणपत उम्र 65 साल जाति प्रजापत
7. करण भोई पुत्र बुद्धा भोई उम्र 65 साल जाति भोई
8. प्रहलाद शर्मा पुत्र मनफूल उम्र 65 साल जाति ब्राह्मण

सभी निवासीयान ग्राम दरगवां तहसील मण्डरायल जिला करौली — अपीलाण्ट्स

बनाम

1. शिवसिंह पुत्र धनपत उम्र 48 साल जाति मीना
2. नारायण पुत्र शिवसिंह उम्र 23 साल जाति मीना
3. श्यामसिंह पुत्र धनपत उम्र 35 साल जाति मीना

} निवासीयान ग्राम दरगवां तहसील मण्डरायल जिला करौली

4. रामकुमार पुत्र सुग्रीव उम्र 60 साल जाति मीना
5. मुरारी पुत्र सुग्रीव उम्र 55 साल जाति मीना
6. गोरे पुत्र रामकुमार उम्र 25 साल जाति मीना

} निवासीयान मूंडरी तहसील मण्डरायल जिला करौली

7. हण्डू पुत्र धर्मपाल उम्र 65 साल जाति मीना निवासी हजारी का पुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली
8. दुर्गा पुत्र सुगन उम्र 28 साल जाति मीना निवासी दरगवां तहसील मण्डरायल जिला करौली
9. विधाराम पुत्र श्रीपत उम्र 35 साल
10. नारायण पुत्र श्रीपत उम्र 30 साल

} जातियान मीना निवासी मूंडरी तहसील मण्डरायल जिला करौली

11. तहसीलदार मण्डरायल (लैण्ड होल्डर) जिला करौली
12. नायब तहसीलदार मण्डरायल जिला करौली
13. उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल जिला करौली — प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश टी0डी0आर0 मण्डरायल दिनांक 27.06.2011 एव नायब तहसीलदार कार्य टी0डी0आर0 के आदेश दिनांक 05.09.2011 जिसके तहत खसरा नम्बर 19/824 व 19/824/2, 160 वांके ग्राम दरगवां चारागाह की तरमीम दिनांक 18.11.2011 को की गई

निर्णय

दिनांक–29.01.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वकील अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 19 रकवा 225.10 बीघा व 160 रकवा 60.02 बीघा ग्राम दरगवां में चारागाह भूमि है जिसमें ग्राम दरगवां एवं ग्राम बाहे का पुरा में मवेशियो सनातन सैकडों वर्षो से चरती चली आ रही है। यह भूमि हमेशा मवेशियों के चारागाह के रूप में ही काम आती रही है। अन्य किसी कार्य में नहीं

जिला कलक्टर
करौली

आयी है। इस प्रकार की सार्वजनिक उपयोग की भूमि की सुरक्षा का दायित्व ग्राम पंचायत का होता है। विपक्षीगण 1 लगायत 10 जातीय बहुमत के आधार पर अवैध रूप से भूमि प्राप्त करने के उद्देश्य से दिनांक 27.07.2015 को चारागाह भूमि को काश्त करने के लिये खसरा नम्बर 19 पर ट्रैक्टरो को लेकर आ गये और ट्रैक्टरों से जोत कर दी। ग्रामवासियों को पता लगने पर दिनांक 28.07.2015 को शिकायत की जिस पर उनके विरूद्ध 107, 116 सी.आर.पी.सी. की कार्यवाही की गई। शक होने पर दिनांक 04.08.2015 को पटवारी हल्का से मिले और नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त की। पटवारी का पिछोरा (नक्शे का कपड़ा) को देखा जिसमें निम्न नोट लगा हुआ था–''श्रीमान् टी0डी0आर0 मण्डरायल के आदेश क्रमांक 27.06.2011 एवं नायब तहसीलदार कार्य टी0डी0आर0 के आदेश दिनांक 05.09.2011 की पालना में आराजी खसरा नम्बर 19/824, 19/824/2, 160 की तरमीम पुख्ता की गई।'' दिनांक 18.11.2011 प्राथीगण ने पटवारी से उक्त नोट को लिखने के लिये कहा तो पटवारी ने उक्त भाषा को लिखने से मना कर दिया। इसके आधार पर दिनांक 05.08.2015 को जमाबन्दी खसरा नम्बर 19/2, 19/824 तथा जमाबन्दी खसरा नम्बर 19, 160 बाके ग्राम दरगवां की प्राप्त एवं दिनांक 06.08.2015 को जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 की उक्त चारागाह की प्राप्त की जिनको देखने पर चारागाह में लाल स्याही से की गई तरमीम की जानकारी प्राप्त हुई। पटवारी के पिछोरा में लगे नोट के आधार पर टी0डी0आर0 मण्डरायल के समक्ष नकल आदेश तरमीम दिनांक 27.06.2011 जिसके तहत खसरा नम्बर 19 बाके ग्राम दरगवां की तरमीम की गई एवं नकल आदेश दिनांक 05.09.2011 नायब तहसीलदार मण्डरायल जिसके तहत खसरा नम्बर 19 बाके ग्राम दरगवां की तरमीम की पुख्ता की गई तथा नकल प्रार्थना पत्र जिसके आधार पर तरमीम की गई कि नकलें प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 06.08.2015 को पेश किया। दिनांक 11.08.2015 को उक्त नकलों के बारे में लिखित सूचना इस आशय की दी गई कि दिनांक 27.06.2011 का आदेश कार्यालय में काफी तलाश के बाद उपलब्ध नहीं हो पाया है। दिनांक 27.06.2011 के डिस्पेच रजिस्टर में मूल प्रार्थना पत्र आई.एल.आर. मण्डरायल को भिजवाया जाना पाया जाता है तथा नम्बर 2 पर दिनांक 05.09.2011 का आदेश नायब तहसीलदार मण्डरायल के संबंधित कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा इसी प्रकार नम्बर 3 में बताया गया है कि मूल प्रार्थना पत्र तरमीम बाद पूर्ति इस कार्यालय के क्रमांक भू.अ./919 दिनांक 21.07.2011 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल को जाना पाया जाता है। दिनांक 11.08.2015 की इस सूचना के बाद उसी दिवस उक्त समस्त नकलों को प्राप्त करने का आवेदन उपजिला कलक्टर मण्डरायल के समक्ष प्रस्तुत किया। दिनांक 19.08.2015 को प्रार्थना पत्र वापस यह लिखकर दिया कि प्रार्थी द्वारा मांगी गई नकल कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में नकल दिया जाना संभव नही है। दोनों ही प्रतिलिपि प्राप्त करने के आवेदन पत्र व नक्शा ट्रेस व जमाबंदी अपील मीमो के साथ पेश की जा रही है। उक्त सभी दस्तावेज व नकलें देखने से ही स्पष्ट है कि बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अमल में लाये विधि विरूद्ध तरीके से भू–माफियों से नाजायज रूप से लाभ उठाने की गरज से खसरा नम्बर 19 एवं 160 चारागाह बाके ग्राम दरगवां की तरमीम की गई क्योंकि उक्त तरमीम किये जाने का नोट पटवारी के पिछोरा (नक्शा ट्रेस असल) में टी0डी0आर0 मण्डरायल व नायब तहसीलदार मण्डरायल के आदेश का उल्लेख किया गया है। इस कारण इस अपील मीमो में तहसीलदार मण्डरायल व नायब तहसीलदार मण्डरायल को पक्षकार बनाया जा रहा है। इसी प्रकार तहसीलदार मण्डरायल के कार्यालय में दिनांक 06.08.2015 को पेश किये गये प्रतिलिपि प्राप्ति के आवेदन की पुश्त पर मद नम्बर 3 में मूल प्रार्थना पत्र तरमीम बाद पूर्ति इस कार्यालय के क्रमांक भू.अ./919 दिनांक 21.07.2011 को श्रीमान्

जिला कलक्टर
करौली

उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल को भिजवाये जाने का उल्लेख होने के कारण उपजिला कलक्टर मण्डरायल को इस अपील मीमो में पक्षकार बनाया जा रहा है। इस अवैध इस फर्जी कार्यवाही के आदेश की कोई नकल प्रार्थीगण को नहीं दी गई है और उक्त आदेश कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने का लिखित नोट होने के कारण दोनो प्रतिलिपि प्राप्त करने के प्रार्थना पत्रों की पुश्त पर लिखे गये आदेश के तहत यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलाण्ट यह भी निवेदन करते है कि इस फर्जकारी के समस्त दस्तावेज जो तहसीलदार, नायब तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल जिला करौली के कार्यालयों में हो उन्हें तलब किया जावे साथ ही असल नक्शा पिछौरा पटवारी भी तलब किया जावें। रिकॉर्ड को देखने से भी फर्जीवाड़ा स्पष्ट नजर आता है क्योंकि खसरा न0 19/2 व 19/824 जो खसरा न0 19 से नये बनाये गये हैं का कुल रकवा 84 बीघा 13 विस्वा होता है और इस चारागाह भूमि की किस्म को परिवर्तित करते हुये गैरमुमकिन बेहड़ चारागाह के स्थान पर गै.मु.बैहड विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज किया गया है। चूंकि चारागाह की किस्म परिवर्तन करने के लिये सक्षम अधिकारी श्रीमान् स्वयं हैं तथा चारागाह की किस्म परिवर्तन के लिये कानून में दी गई बहुत सारी प्रक्रियाऐं अपनायी जानी चाहिए। इस प्रकरण में कोई आदेश श्रीमान् जी के द्वारा नहीं दिया गया और नहीं कोई कानूनी प्रक्रिया अमल में लायी गयी। दस्तावेज देखने से ही स्पष्ट है कि तहसीलदार व नायब तहसीलदार मण्डरायल ने अपने स्तर पर ही भूमि की किस्म को परिवर्तित करते हुये चारागाह को गैरमुमकिन बेहड़ अंकित कर दिया। दस्तावेंजों को देखने से यह भी स्पष्ट नजर आता है कि खसरा नं0 19 जिसका रकवा 225 बीघा 10 विस्वा अंकित है, के रकवे को तरमीम के बाद कम नहीं किया गया यदि सही विधिवत् तरीके से तरमीम की जाती तो उनका नोट खसरा नं0 19 के आगे जमाबंदी में अवश्य लगाया जाता तथा मूल रकबा में से नवीन नम्बरों को रकवा कम करके उसका नोट अवश्य लगाया जाता। समस्त दस्तावेजों को देखने से यह भली प्रकार स्पष्ट है कि सरकारी भूमि चारागाह की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने व उसे प्राप्त करने का यह एक षडयंत्र रचा गया है। चारागाह भूमि में गांव के प्रत्येक निवासी का हक निहित होता है क्योंकि चारागाह सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है जो मवेशियों के चराने हेतु रिजर्व रखी जाती है तथा काश्त के लिए उपलब्ध नहीं होती है। चारागाह भूमि की सुरक्षा व देखभाल करने की जिम्मेदारी ट्रस्टी के समान ग्राम पंचायत की होती है। इस कारण यह अपील समस्त ग्रामवासी एवं ग्राम पंचायत दरगवां के सरपंच के माध्यम से पेश की जा रही है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत दरगवां अथवा किसी भी ग्रामवासियों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया और न ही कोई नोटिस दिये गये तथा न ही सुनवाई में अपीलाण्टस को शामिल किया गया। उक्त तरमीम से समस्त ग्रामवासियों के हित प्रभावित होते है। इस कारण अपील पेश करने की अनुमति की दर0 अलग से अपील के साथ पेश की जा रही है। पक्षकारान् एवं विवादित भूमि श्रीमान्जी के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। इस कारण श्रीमान्जी को अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। उक्त अवैध तरमीमी कार्यवाही की जानकारी पटवारी हल्का का पिछौरा दिनांक 04.08.2015 को देखने पर ज्ञात हुई। इस कारण जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश है। यहाँ यह भी उल्लेखित करना उचित होगा ऐसा आदेश जो प्रारम्भतः शून्य है उनके लिये कोई परिसीमा नहीं होती है। अंत में खसरा नं0 19, 19/2, 19/824, 19/824/2 व 160 बाके ग्राम दरगवां तहसील मण्डरायल जिला करौली के इस तरमीम से सम्बन्धित जो असल दस्तावेज हो उन्हें अधीनस्थ न्यायालयों व कार्यालयों में से तलब फरमाया जाकर विधि विरूद्ध तरीके से उक्त की गई तरमीम जिसका नोट पटवारी हल्का के पिछौरा (कपड़े का नक्शा) में लगा हुआ है को निरस्त किया जाकर नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही

जिला कलक्टर
करौली

से की गई तरमीम तथा नये बनाये गये नम्बरान 19/824, 19/824/2, व 19/2 की ऐन्ट्रीज एवं जमाबंदी में की गई ऐन्ट्रीज को निरस्त करने एवं पूर्व की भांति इकजाई नम्बर 19 चारागाह हेतु यथावत् रखे जाने तथा गैरमुमकिन बेहड़ की ऐन्ट्रीज को निरस्त करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट्स दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

प्रत्यर्थीगण नं. 1,2,3,7 व 8 वाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये और न ही अपना पक्ष इस न्यायालय में रखा गया।

प्रत्यर्थीगण नं. 4,5,6,9 व 10 के वकील एवं पैरोकार सरकार ने जवाब न देकर सीधे बहस करना चाहा।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि

आराजी खसरा नम्बर 19 रकवा 225.10 बीघा व 160 रकवा 60.02 बीघा ग्राम दरगवां में चारागाह भूमि है जिसमें ग्राम दरगवां एवं ग्राम बाहे का पुरा में मवेशियो सनातन सैकडों वर्षो से चरती चली आ रही है। इस प्रकार की सार्वजनिक उपयोग की भूमि की सुरक्षा का दायित्व ग्राम पंचायत का होता है। विपक्षीगण 1 लगायत 10 जातीय बहुमत के आधार पर अवैध रूप से भूमि प्राप्त करने के उद्देश्य से दिनांक 27.07.2015 को चारागाह भूमि को काश्त करने के लिये खसरा नम्बर 19 पर ट्रैक्टरो को लेकर आ गये और ट्रैक्टरों से जोत कर दी। शक होने पर दिनांक 04.08.2015 को पटवारी हल्का से मिले और नक्शा ट्रेस की नकल प्राप्त की। पटवारी का पिछोरा (नक्शे का कपड़ा) को देखा जिसमें निम्न नोट लगा हुआ था–''श्रीमान् टी0डी0आर0 मण्डरायल के आदेश क्रमांक 27.06.2011 एवं नायब तहसीलदार कार्य टी0डी0आर0 के आदेश दिनांक 05.09. 2011 की पालना में आराजी खसरा नम्बर 19/824, 19/824/2, 160 की तरमीम पुख्ता की गई।'' दिनांक 18.11.2011 प्राथीगण ने पटवारी से उक्त नोट को लिखने के लिये कहा तो पटवारी ने उक्त भाषा को लिखने से मना कर दिया। इसके आधार पर दिनांक 05.08.2015 को जमाबन्दी खसरा नम्बर 19/2, 19/824 तथा जमाबन्दी खसरा नम्बर 19, 160 बाके ग्राम दरगवां की प्राप्त एवं दिनांक 06.08.2015 को जमाबन्दी संवत् 2050 से 2053 की उक्त चारागाह की प्राप्त की जिनको देखने पर चारागाह में लाल स्याही से की गई तरमीम की जानकारी प्राप्त हुई। नकल प्रार्थना पत्र जिसके आधार पर तरमीम की गई कि नकलें प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 06.08. 2015 को पेश किया। दिनांक 11.08.2015 को उक्त नकलों के बारे में लिखित सूचना इस आशय की दी गई कि दिनांक 27.06.2011 का आदेश कार्यालय में काफी तलाश के बाद उपलब्ध नहीं हो पाया है। रिकॉर्ड को देखने से भी फर्जीवाड़ा स्पष्ट नजर आता है क्योंकि खसरा न0 19/2 व 19/824 जो खसरा न0 19 से नये बनाये गये हैं का कुल रकवा 84 बीघा 13 विस्वा होता है और इस चारागाह भूमि की किस्म को परिवर्तित करते हुये गैरमुमकिन बेहड़ चारागाह के स्थान पर गै.मु.बैहड विधि विरूद्ध तरीके से दर्ज किया गया है। चूंकि चारागाह की किस्म परिवर्तन करने के लिये सक्षम अधिकारी श्रीमान् स्वयं हैं तथा चारागाह की किस्म परिवर्तन के लिये कानून में दी गई बहुत सारी प्रक्रियाऐं अपनायी जानी चाहिए। इस प्रकरण में कोई आदेश श्रीमान् जी के द्वारा नहीं दिया गया और नहीं कोई कानूनी प्रक्रिया अमल में लायी गयी। दस्तावेज देखने से ही स्पष्ट है कि तहसीलदार व नायब तहसीलदार मण्डरायल ने अपने स्तर पर ही भूमि की किस्म को परिवर्तित करते हुये चारागाह को गैरमुमकिन बेहड़ अंकित

जिला कलक्टर
करौली

कर दिया। दस्तावेंजों को देखने से यह भी स्पष्ट नजर आता है कि खसरा नं0 19 जिसका रकवा 225 बीघा 10 विस्वा अंकित है, के रकवे को तरमीम के बाद कम नहीं किया गया यदि सही विधिवत् तरीके से तरमीम की जाती तो उनका नोट खसरा नं0 19 के आगे जमाबंदी में अवश्य लगाया जाता तथा मूल रकबा में से नवीन नम्बरों को रकवा कम करके उसका नोट अवश्य लगाया जाता। समस्त दस्तावेजों को देखने से यह भली प्रकार स्पष्ट है कि सरकारी भूमि चारागाह की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने व उसे प्राप्त करने का यह एक षडयंत्र रचा गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट्स को स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

वकील प्रत्यर्थीगण नं. 4,5,6,9 व 10 का बहस में कथन है कि उनका इस जमीन व तरमीम से कोई संबंध नहीं है। अपीलाण्ट्स गांव के पास की जमीन को खसरा नं. 19/2 बेहड़ के रूप में तरमीम करवाना चाहते हैं ताकि भविष्य में इस जमीन पर कब्जा किया जा सके। तरमीम सही की गई है। अंत में अपील अपीलाण्ट् खारिज किये जाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान कथन किया है कि मुताबिक चकबंदी रजिस्टर 2015 ग्राम दरगवां के खसरा नंबर 19/1 रकबा 225–10 बीघा चारागाह, खसरा नंबर 19/2 रकबा 98–13 बीघा बेहड़ एवं खसरा नंबर 160 रकबा 60–02 बीघा चारागाह दर्ज हैं जो सैटिलमेण्ट के पूर्वा नंबर हैं जिनकी नक्शा शीट में तरमीम नहीं हैं। श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, करौली के आदेश दिनांक 14.12.1978 से नामांतरकरण संख्या 244/02.07.1979 से खसरा नं. 19/824 रकबा 40 बीघा बारानी–3 किस्म परिवर्तन हुई है जिसकी तरमीम नक्शा शीट में नहीं थी। जमाबंदी संवत् 2066–69 में खसरा नं. 19/824 रकबा 44–13 बीघा बेहड व खसरा नं. 19/824/2 रकबा 40 बीघा बारानी–3 दर्ज थी। खसरा नं. 19/824/3 व 19/825 सन् 1968, 1977 में आवंटन/नियमन हुए हैं जिनकी मौका अनुसार तरमीम होनी थी। जमाबंदी संवत् 2066–69 में खसरा नं. 19/824/3 रकबा 1–10 बीघा रोशन, टुण्डा, शंकर पि. बीरबल, गणेशी वेवा बीरबल मीना एवं खसरा नं. 19/825 रकबा 12–10 बीघा गुलाब पुत्र सांवलिया ब्राह्मण के नाम थी जिसकी नक्शा शीट में तरमीम नहीं थी। उक्त तरमीम के संबंध में तत्कालीन समय में कोई विवाद नहीं होने के कारण नियमानुसार तरमीम की गई है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। बाके ग्राम दरगवां, तहसील मण्डरायल में स्थित खसरा नं. 19/1 रकबा 225–10 बीघा किस्म चारागाह, खसरा नं. 19/2 रकबा 98–13 बीघा किस्म बेहड़ एवं खसरा नं. 160 रकबा 60–02 बीघा किस्म चारागाह सैटलमेण्ट खतौनी के समय के पूर्वा नंबर हैं तथा उपखण्ड अधिकारी, करौली के आदेश दिनांक 14.12.1978 से नामांतरकरण संख्या 244 निर्णय दिनांक 02.07.1979 से खसरा नंबर 19/824 रकबा 40 बीघा की किस्म परिवर्तित हुई है। उक्त खसरा नंबरान की तरमीम नक्शा शीट में नहीं थी जिनकी नक्शा शीट में तरमीम की जानी थी जिनमें तहसीलदार के आदेश दिनांक 27.06.2011 से पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा तरमीम की गई है। उक्त खसरा नंबरान की नक्शा शीट में की गई तरमीम से हम संतुष्ट हैं एवं उक्त खसरा नंबरान की, की गई तरमीम में किसी भी तरह का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। प्रत्यर्थीगण 1 लगायत 10 का तरमीम से कोई संबंध नहीं है। हम प्रत्यर्थीगण के कथनों से सहमत हैं। अतः अपील अपीलाण्ट को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

जिला कलक्टर
करौली

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार मण्डरायल को निर्देशित किया जाता है कि खसरा नंबर 19/824/3 व 19/825 के आवंटन/नियमन की जांच करे। यदि आवंटन/नियमन विधिक प्रक्रिया अनुसार नहीं किया जाकर अवैध रूप से किया गया है तो उसका रेफरेन्स बनाकर संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ इस न्यायालय में पेश करे। उपखण्ड अधिकारी करौली के आदेश दिनांक 14.12.1978 के द्वारा खसरा नंबर 19/824 रकबा 40 बीघा की किस्म बारानी 3 परिवर्तित होने के उपरांत भी संवत् 2066–69 की जमाबंदी में खसरा नं. 19/824 का रकबा 44 बीघा 13 विस्वा कैसे दर्ज हो गया? इसकी जांच के साथ–साथ खसरा नं. 19/824/2 रकबा 40 बीघा किस्म बारानी के दर्ज होने के संबंध में जांच कर रिकॉर्ड को दुरूस्त करने की विधिक कार्यवाही की जावे। पालना रिपोर्ट 1 माह के अंदर पेश की जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली